

# Sub Registry Office, Phulwarisharif

## Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 207

RTPS No.:-  
030118287002200116

बूँके श्री BIHARAT DAS ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवगारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।  
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवगारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 31/01/2014 से ता० 10/01/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवगारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	Sub Registry Office Phulwari Shari	PHULWARI SHARIF	BHUSAULA DANAPUR	503&506	2023&2024	SQR FT.	30588	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवगारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवगार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-  
नाम - Kundan Kumar  
L.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम PAWAN KUMAR  
U.D.C.

कार्यालय: Sub Registry Office,  
Phulwarisharif तारीख -- 14/01/2022

टिप्पणी :-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवगार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवगारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु बूँके वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और बूँके वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवगारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 207 दिनांक:- 10/01/2022

शाखा प्रबंधक STATE BANK OF INDIA के पत्र दिनांक 10/01/2022 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Sax Ashirwad Construction Private Limited

Director